


- 8-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नही है।
- 9-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नही है।
- 10-आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नही है।
- 11-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नही है।
- 12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नही है।
- 13-प्रेसराईजेशन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन मे प्रेशराईजेशन सिस्टम वांछनीय नही है।
- 14-पी0ए0 सिस्टम:- प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम वांछनीय नही है।
- 15-एग्जिट साईनेज:- प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी नॉलेज पार्क ग्रेटर नौएडा मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स एम0बी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, द्वारा प्लाट न0-31, सेक्टर नॉलेज पार्क-01, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित एजुकेशनल भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का वर्ष 2018-2019 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- 1-भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाए रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।
- 2-भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।
- 3-भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।
- 4-भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5-प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
- 6-विद्यालय में ऐसे कक्ष जिनमे 01 दरवाजा है, उनमे 45 विद्यार्थियों से अधिक विद्यार्थी न बैठाये जायें।
- 7-भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।
- 8-उक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


 (अमन शर्मा)
 उपनिदेशक, फायर सर्विस
 मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

- प्रतिलिपि: 1-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
 2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 3-अग्निशमन अधिकारी नॉलेज पार्क ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।